

न्यायालय मानदोष राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर ५० प०

प्रकरण क्रमांक :

नंगा - ५० - II - १६

मृती रजनी विष्णुराम कन्छेदी तन्य घनव्याम नाई

हारा आज दि ५-०१-१६ को

निवासो ग्राम देवराहा, तद्वाल पलेरा,

प्रस्तुत

जिला टोकमगढ़ म० प्र०

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

-- आवेदक/निगरानी
कर्ता

॥ चिठ्ठ ॥

५० प० शासन

द्वारा तद्वालदार पलेरा जिला टोकमगढ़ म० प्र०

-- अ. आवेदक

५-०१-१६

न्यायालय श्रीमान अपर क्लैक्टर टोकमगढ़ द्वारा जारी दिर्दश/आदेश प्रकरण
क्रमांक - ४५/बी-१२१/वर्ष २०१३-१४ आदेश दिनांक २९/०५/२०१४ के पालनार्थ
मौजा संचांधा भूमि पट्टवारी हल्का रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निगरानी
अन्तर्गत धारा - ५० म० प्र० भू० राजस्व संहिता १९५९ :-

आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

यह कि, आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम लहर छुर्ग तद्वाल
पलेरा जिला टोकमगढ़ में स्थित भूमि खसरा नंबर १४२/४ रक्वा २०२३ हेठों
का स्वयंवस्थापन अपने पक्ष में करने हेतु तत्कालीन तद्वालदार महोदयपलेरा
के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, तत्कालीन तद्वालदार ने उक्त आवेदन स्वीकार
कर पट्टवारी प्रतिवेदन चाहा, पट्टवारो प्रतिवेदन रिपोर्ट के आधार पर
अपने प्रकरण क्रमांक ४५९/अ-१९४ब० वर्ष २००२-२००३ में पारित आदेश दिनांक
०१/०५/२००३ के द्वारा आवेदक/निगरानीकर्ता के पक्ष में ग्राम लहर छुर्ग
तद्वाल पलेरा में स्थित भूमि खसरा नंबर १४२/४ रक्वा २०२३ हेठों पर
भूमि स्वामी नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया।

यह कि, तद्वालदार महोदय पलेरा के प्रकरण क्रमांक ४५९/अ-१९४ब०/वर्ष २००२-२००३ में पारित आदेश दिनांक ०१/०५/२००३ पारित होने
के बावजूद उक्त आदेश का पालन अमल में तत्कालीन पट्टवारो मौजा हल्का
द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया न हो दर्ज करने का कोई
कारण बताया गया।

प्रकरण क्रमांक 40 -दो / 2016 निगरानी

जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिके हस्ता
४-१-१६	<p>आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 45 बी 121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 29-5-2014 पर से म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार उंव प्रकरण के अवलोकन से वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम लहर बुजुर्ग तहसील पलेरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 142/4 रकबा 2.023 हैकटर तहसीलदार पलेरा के प्रकरण क्रमांक 459 अ-19/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 01-05-2003 से आवेदक के हित में व्यवस्थापित की गई, परन्तु पटवारी ने तहसीलदार के आदेश का अमल खसरे में नहीं किया, जबकि आवेदक कन्छेदी पुत्र घनश्याम नाई व्यवस्थापन के दिन से निरस्तर काविज होकर खेती करता आ रहा है फिर भी पटवारी ने गस्त के दौरान भी उसका अमल खसरे में नहीं किया।</p> <p>3/ आवेदक ने आवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर टीकमगढ़ से तहसीलदार के आदेश दिनांक 1-5-2003 का अमल कराये जाने का निवेदन किया। यह आवेदन अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के व्यायालाय में आने पर प्रकरण क्रमांक 45/बी-121/ 2013-14 पर दर्ज किया जाकर सुनवाई की गई। अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने तहसीलदार पलेरा के प्रकरण क्रमांक 459 अ-19/2002-03 को मँगवाकर सुनवाई करते हुये</p>	


*fms**(M)*

आदेश दि. २९-५-१४ पारित किया तथा तहसीलदार के आदेश दिनांक ०१-०५-२००३ का खसरे में अमल किये जाने के आदेश दिये, परन्तु हलका पटवारी ने इन आदेशों का भी पालन नहीं किया, जिसके कारण दोनों अधीनस्थ व्यायालयों के आदेशों का पालन कराये जाने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

४/ उपलब्ध अभिलेख के अनुसार जब तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण क्रमांक ४५९ अ-१९/२००२-०३ में पारित आदेश दिनांक १-५-२००३ से ग्राम लहर बुजुर्ग तहसील पलेरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक १४२/४ रकबा २.०२३ हैक्टर आवेदक के नाम व्यवस्थापित की है एंव अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक ४५/बी-१२१/२०१३-१४ पारित आदेश दिनांक २९-५-१४ से अमल किये जाने के आदेश दिये हैं, तब तहसीलदार का दायित्व है कि वह हलका पटवारी से ग्राम ग्राम लहर बुजुर्ग तहसील पलेरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक १४२/४ रकबा २.०२३ हैक्टर पर खसरे में आवेदक के नाम की प्रविष्टि दर्ज कराये।

५/ अतएव निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार पलेरा को आदेश दिये जाते हैं कि वह अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक २९-५-१४ का पालन करायें तथा आवेदक के नाम की प्रविष्टि खसरा एंव अन्य शासकीय अभिलेख दर्ज में करावें।

fm



सदस्य